Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बनाम मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-10-2024	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से दो प्रार्थनापत्र, प्रथम आदेश 6 नियम 16 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व द्वितीय आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2013 (1) RLW 803 (Raj.) प्रस्तुत किया, जिसका सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। <u>आदेश बाबत् प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 16 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u> इस सम्बंध में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट ह कि प्रतिवादी की ओर से वादपत्र के पैरा संख्या 11 व 12 को काट दिए जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि यह अभिकथन अनावश्यक व तुच्छ हैं तथा तंग करने वाले हैं, किंतु वादी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किए 10 वर्ष से अधिक का बहुत लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है। इस स्टेज पर वादी के इन अभिकथनों को अनावश्यक, तुच्छ व तंग करने वाला मानकर हटाए जाने का निवेदन किया गया है, किंतु इस स्टेज पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 16 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। <u>आदेश बाबत् प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u> इस सम्बंध में उभय पक्ष को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद के मूल्यांकन व न्यायालय शुल्क के सम्बंध में किए गए एतराज व वाद की इस न्यायालय को श्रवणाधिकारिता के सम्बंध में किए गए एतराज पर तनकी कायम करना आवश्यक है। जबकि तनकी संख्या 3 आवश्यकता के सम्बंध में बनाई गई है, जिसके इस वाद की प्रकृति, जो कि धारा 106 टी.पी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है, उसमें आवश्यकता के प्रश्न पर विवाद्यक कायम करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। वादी द्वारा सामान्य रूप से किए गए मूल्यांकन कम, न्यायशुल्क व वाद की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बनाम मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्रवणाधिकारिता के अभिकथनों को विशिष्ट तथ्यों के साथ प्रतिवादी ने विशिष्ट एतराज लेते हुए अभिकथन किए है, इसलिए प्रतिवादी के जिम्मे रखते हुए इन प्रश्नों के सम्बंध में तनकीयात बनाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादी ने अनय तनकीयात प्रस्तावित की हैं, वे परिसर की सीमा, वाद हेतुक उत्पन्न होना तथा जवाबदावा में उठाए गए विभिन्न आधारों पर तनकीयात जोड़े जाने का निवेदन किया है, जिसकी इस प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजूदा बनाई गई तनकी संख्या 3 को हटाते हुए/ विलोपित करते उसके स्थान पर निम्न तनकी संख्या 3 कायम की जाए कि " आया वादी का वाद मूल्यांकन कम किया गया है व न्यायालय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है, इसलिए यह वाद निरस्त होने योग्य है? ....जिम्मे प्रतिवादी तनकी संख्या 11 निम्न प्रकार से कायम की जाती है कि " आया वादी के इस वाद की श्रवणाधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने से यह वाद निरस्त किए जाने योग्य है? ...प्रतिवादी पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 14-10-2024 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचंद बनाम मूलचंद दीवानी वाद संख्या 25/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए